राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

Phone No. 0141-2710978
Fax. No. 0141-2710978

क्रमांक : लेखा एवं वित्त/2023/ दिनांक :

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि जब अंकेक्षण दल जांच हेतु विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों में उपस्थित होते हैं तब सम्बन्धित इकाई रोकड़ पुस्तिका अद्यतन स्थिति में नहीं पाई जाती है। कई-कई दिनों से रोकड़ पुस्तिका में प्रविष्ठियां नहीं की जाती है तथा इकाई अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी नहीं होते हैं। यह स्थिति सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रतिकूल है।

अतः सभी इकाई प्रभारियों से अनुरोध है कि इकाई की रोकड़ पुस्तिका का लेखा नियमों के अनुसार नियमित संधारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं सम्बन्धित वाउचर्स/आदेश भी उचित रूप से पत्रावली में संधारित किये जाये। रोकड़ पुस्तिका पर नियमित रूप से हस्ताक्षर किये जाये। बैंक खाते से नियमित मिलान कराया जावे एवं समय-समय पर रोकड़ की आकस्मिक जांच भी की जाए तथा तदनुसार रोकड़ पुस्तिका में अंकन किया जाये। रोकड़ पुस्तिका संधारण सम्बन्धी निर्देश/गाईडलाईन संलग्न की जा रही है।

यदि भविष्य में जांच दल द्वारा रोकड़ पुस्तिका के अपूर्ण रहने के सम्बन्ध में कोई आक्षेप बनाया जायेगा तो इसकी सम्बन्धित कर्मचारी एवं इकाई प्रभारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियत कर लेखा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(रामसुख जाटोलिया)
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : लेखा एवं वित्त/2023/1456-1536 दिनांक : 25/2/2023

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रप्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय संघठक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त निदेशक, विश्वविद्यालय केन्द्र/पी.जी. स्कूल्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सहायक कुलसचिव प्रथम/द्वितीय, लेखा एवं वित्त, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

RK Jain 26/02/23
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त

D:\Letter(H).doc